

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारा मगढ, जिला जयपुर राजस्थान

रामफूल वर्गौ

बनाम

ताराचन्द वर्गौ

नं० :- 69 / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 10 अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगावाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 10 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।	
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 2.5200 है०, खसरा नम्बर 94 रकबा 3.7900 है०, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0100 है० वाकै ग्राम हींगवाला, पटवार हल्का राम्यावाला, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगणों की ग्राम हींगवाला, पटवार हल्का राम्यावाला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 2.5200 है०, खसरा नम्बर 94 रकबा 3.7900 है०, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0100 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	उपखण्ड अधिकारी जिला-जयपुर
		उपलब्ध अधिकारी जिला-जयपुर